

कार्यालय:-  
वन मण्डल अधिकारी, (क्षेत्रीय) पानीपत।  
वन विभाग हरियाणा सरकार

वन परिसर असन्ध रोड़, पानीपत, दूरभाष/ फैक्स न०:- 0180-2650331 Email:-dfopanipat04@yahoo.co.in

क्रमांक:- 912  
सेवा में,

दिनांक:- 25-08-2021

**JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED,**  
Ground Floor, Reliance House RK4 Square,  
Building No. 4, DLF Cyber City, Phase II,  
Gurgram, Haryana 12202

विषय:-

**Diversion of 0.0155 Ha. (344 Mtr.) Forest Land for laying OFC of JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED, Ground Floor, Reliance House RK4 Square, Building No. 4, DLF Cyber City, Phase II, Gurgram, Haryana 12202, From Hanu Sweets Panipat on Chandigarh-Delhi Highway, (NH-44) on Service Road Towards Bajaj Showroom, Karnal Side on Chandigarh-Delhi Highway (NH-44), Left Hand Side of the Road, in Panipat City, Tehsil & District Panipat, Haryana. (Proposal No. : FP/HR/OFC/142264/2021, Date of Submit: 17-01-2021)**  
**123282**

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा उक्त प्रस्ताव वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाईट पर ऑनलाईन करते हुये मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, उक्त प्रस्ताव में आप द्वारा किसी भी विभाग की एन0ओ0सी0 प्रस्तुत नहीं की गई है। उपरोक्त प्रस्ताव में आप द्वारा NHAI तथा नगर निगम की एन0ओ0सी0 प्रस्तुत की जानी है।

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0), कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला के पत्र क्रमांक-NT/Guideline/4121-41 दिनांक 01.03.2017 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि प्रयौक्ता एजेंसी के पास ऑनलाईन आवेदन करते समय यदि सम्बन्धित विभाग की एन0ओ0सी0 नहीं है तो ऐसे केसों में (in anticipation of NOCs provided by the User Agency with 30 days from online acknowledge/down mark the case from PCCF office) में नियमानुसार वन मण्डल स्तर की सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर लें। यदि प्रयौक्ता एजेंसी अण्डरटेकिंग के अनुसार 30 दिन की निर्धारित समय अवधि में अपेक्षित एन0ओ0सी0 वन मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत न करें, तो ऐसे केस Online portal द्वारा EDS के तहत प्रयौक्ता एजेंसी को वापिस कर दिए जाए तथा अपेक्षित एन0ओ0सी0 प्राप्त होने की स्थिति में आगामी आवश्यक कार्यवाही जारी रखी जाये।

अतः उक्त प्रस्ताव में ऑनलाईन EDS लगाते हुये आपको लिखा जाता है कि आप आवेदित प्रस्ताव में सम्बन्धित विभाग की एन0ओ0सी0 शीघ्रातिशीघ्र मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

वन मण्डल अधिकारी,  
पानीपत